



GUWAHATI



भारत ने भू-राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। भारत ने यह पहचान अपनी गतिशील और अनुकूलनशील विदेश नीति के बल पर हासिल की है। बदलती सरकारों और बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर समय-समय पर भारत की विदेश नीति में भी परिवर्तन किए जाते रहे हैं। हालांकि, विदेश नीति की कुछ विशेषताएं स्थिर बनी हुई हैं जबकि कुछ विशेषताओं में वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव हुए हैं। भारत की विदेश नीति किसी न किसी रूप में भारत के नागरिकों और निवासियों को प्रभावित करती है। अतः इसे समझने के लिए हम आगे निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे:

- 'विदेश नीति' का क्या अर्थ होता है?
- भारत की विदेश नीति कैसी है?
- स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है?
- बदलते वैश्विक परिदृश्य के प्रति भारत की प्रतिक्रिया कैसी होगी?
- लगातार बदलते समकालीन विश्व में भारत के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं?
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विशेष पहचान को स्थापित करने के लिए भारत के संदर्भ में कौन-सी रणनीतियां प्रासंगिक होंगी?

“विदेश नीति” से हम क्या समझते हैं?



- किसी देश द्वारा अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप अपनाए गए आधारभूत सिद्धांतों और लिए गए निर्णयों को विदेश नीति के रूप में देखा जाता है। कोई देश अपनी विदेश नीति के अनुसार ही अपने राष्ट्रीय हितों और निर्धारित लक्ष्यों को सुरक्षित करने की दृष्टि से अन्य देशों एवं सभी अंतर्राष्ट्रीय पक्षकारों के साथ अपने संबंधों को संचालित करता है।
- विदेश नीति के उद्देश्यों को 'कूटनीति' के माध्यम से हासिल करने का प्रयास किया जाता है। विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के पेशवर तरीकों, कौशल और कला को कूटनीति कहते हैं।
- किसी देश की विदेश नीति में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल होने चाहिए:
 - ❑ अन्य देशों के साथ भौगोलिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना।
 - ❑ देश के भीतर सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति देना।
 - ❑ देश के स्वयं के सामर्थ्य में वृद्धि करना।
 - ❑ विदेश नीति के लक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखना।

भारतीय विदेश नीति के निम्नलिखित चार प्रमुख लक्ष्य हैं:



- पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से भारत की रक्षा करना।
- एक ऐसा बाह्य वातावरण तैयार करना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो।
- यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को सुना जाए तथा वैश्विक मुद्दों पर देशों के मत को प्रभावित करने में भारत सक्षम हो।
- प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना और उनकी रक्षा करना।

भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत और उनकी विशेषताएं क्या हैं?



- भारत की विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांत भारतीय लोकाचार, संस्कृति और पारंपरिक भारतीय विचारों से गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सिद्धांत विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन सिद्धांतों को "पंचशील" के माध्यम से दर्शाया गया है। पंचशील या पांच नैतिक सदगुणों को औपचारिक रूप से वर्ष 1954 में भारत-चीन समझौते के तहत अपनाया गया था। समय के साथ वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए पंचशील ने एक आधार के रूप में कार्य किया है। इन पांच सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं:



एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान करना



एक-दूसरे पर आक्रमण न करना



एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना



परस्पर सहयोग व लाभ को बढ़ावा देना



शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना

भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित विशेषताओं को आकार देने में उपर्युक्त पांच सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है:



- ❖ **विचारधाराओं को थोपने और बलपूर्वक शासन-व्यवस्था में परिवर्तन का विरोध:** भारत ने लोकतंत्र में हमेशा विश्वास किया है और उसको बढ़ावा देने में सहयोग भी दिया है। भारत अपनी विचारधाराओं को अन्य देशों पर थोपने में विश्वास नहीं रखता है और न ही बलपूर्वक किसी देश की अखंडता और शासन-व्यवस्था में बदलाव का समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर इराक, लीबिया, सीरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप या जॉर्जिया, यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप के मामलों में भारत के उलट अन्य वैश्विक शक्तियों में ऐसी प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं।
- ❑ भारत द्वारा किसी देश की स्पष्ट सहमति के बाद ही उस देश की क्षमता निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की गई है, उदाहरण के लिए— भारत द्वारा अफगानिस्तान में किया गया सहयोग।
- ❖ **भारत द्वारा एकतरफा प्रतिबंधों/सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन न करना:** भारत हमेशा से किसी देश या देशों के समूह द्वारा किसी अन्य देश के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों और सैन्य कार्रवाइयों का विरोधी रहा है। भारत का मत है कि ऐसे प्रतिबंध/सैन्य कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय सहमति एवं संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए भारत ने केवल संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना द्वारा शांति स्थापना करने वाले सैन्य अभियानों में ही भागीदारी की है।
- ❖ **हस्तक्षेप की जगह मध्यस्थता जैसे विकल्पों को अपनाना:** भारत अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का पक्षधर रहा है। हालांकि, यदि किसी देश द्वारा भारत के राष्ट्रीय हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत तुरंत और समय पर हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करता है।
- ❑ उदाहरण के लिए— बांग्लादेश (1971), श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल (1987-90) तथा मालदीव (1988)।
- ❖ **आक्रामकता के स्थान पर रचनात्मक भागीदारी:** भारत का मानना है कि आक्रामक जवाबी कार्रवाई और विरोध केवल मामले को उलझाते ही हैं। हालांकि, स्थिति एवं मांग के अनुसार भारत ने आक्रामकता का सहारा भी लिया है। इससे संबंधित उदाहरणों में POK में आतंकवादी-लॉन्च पैड को समाप्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमले शामिल हैं।
- ❖ **सामरिक स्वायत्तता:** स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने अपने विदेशी संबंधों और साझेदारी में एक स्वतंत्र राह को अपनाने का प्रयास किया है। साथ ही, गुटनिरपेक्षता के माध्यम से तटस्थता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसी तरह से, भारत ने मुद्दों पर आधारित साझेदारी में विश्वास किया है और गठबंधनों (विशेषकर सैन्य गठबंधन) से दूरी बनाए रखी है।
- ❑ उदाहरण के लिए— संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान से पृथक रहकर तथा हिंसा को तत्काल समाप्त करने पर जोर देते हुए, भारत अपनी तटस्थता को बनाए रखने में सफल रहा है।
- ❖ **वैश्विक आयामों से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक सहमति:** वैश्विक व्यापार व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, वैश्विक प्रणाली जैसे वैश्विक आयामों से संबंधित मुद्दों पर भारत, वैश्विक विचार-विमर्श का समर्थन करता है।
- ❖ **कूटनीतिक संबंध:** इससे मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों में गुणात्मक सुधार लाने में मदद मिली है और कई क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर तालमेल में भी बढ़ोतरी हुई है। इसने संबंधों को फिर से जीवित करने और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही, इसने कई क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से मजबूत साझेदारी के लिए नए अवसर भी प्रदान किए हैं।

भारतीय कूटनीति: भारतीय विचारधारा

भारतीय कूटनीति सदियों से कौटिल्य के अर्थशास्त्र या महाभारत और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों से संबंधित दर्शन द्वारा निर्देशित होती रही है।

वसुधैव कुटुम्बकम् (विश्व एक परिवार है) का विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में भारत के दार्शनिक विचार को प्रदर्शित करता है। इसमें शामिल हैं:

- ❖ मध्यम मार्ग की परंपरा
- ❖ मानव-केंद्रित वैश्वीकरण
- ❖ रणनीतिक स्वतंत्रता

भारतीय विदेश नीति के विकास का कालक्रम

वैश्विक राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था के तीन मुख्य चरण और इन चरणों के दौरान भारतीय विदेश नीति:

1947 से 1991 तक:

इस दौरान प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों, जैसे— संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था रही थी। इस दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए सदियों के औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप उभरे गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तनाव एवं खामियों को दूर करने का प्रयास किया।

1991 से 2008 तक:

सोवियत संघ के विभाजन के समय भारत में विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति उत्पन्न हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का भी उदय हुआ। हालांकि, इसके बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़ते हुए एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर रुख कर लिया। साथ ही, भारत वैश्वीकरण और अपने निकट पड़ोसी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की नीति का पालन करने लगा।

2008 से वर्तमान समय तक:

वित्तीय संकट और मंदी के बाद चीन एवं अन्य कई देश आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे और साथ ही कुछ बहुपक्षीय संस्थानों का भी उदय हुआ है। इसके अलावा, वैश्विक शक्ति-संतुलन भी तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हुआ है। विकसित होती भारतीय कूटनीति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों (P-5) तथा हमारे पड़ोसी देशों के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। विदेश नीति के तहत लैटिन अमेरिका के साथ-साथ अफ्रीका महाद्वीप को भी प्राथमिकता दी जाने लगी है। साथ ही, अब राजनीतिक और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की तुलना में आर्थिक कूटनीति अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।



भारतीय विदेश नीति की स्थिरता में योगदान देने वाले स्थायी घटक निम्नलिखित हैं:

भारत की विदेश नीति को गतिशील और अनुक्रियाशील बनाने वाले घटक:



राजनीतिक स्थिरता



सामाजिक-धार्मिक संतुलन



निर्धनता में कमी



रणनीतिक स्वतंत्रता



भारतीय विदेश सेवा (IFS) द्वारा प्रदान की गई निरंतरता



भारत की भौगोलिक क्षमता



भारत की सैन्य शक्ति



जनसांख्यिकीय लाभान्श



चीन की आक्रामकता



देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता



डिजिटलीकरण



प्रवासी भारतीय



बढ़ता भारतीय बाज़ार



कोविड-19 महामारी जैसी संकट की स्थिति



कोविड-19 के दौरान भारतीय विदेश नीति का गतिशील स्वरूप



कोविड-19 ने भारत की विदेश नीति को एक अलग आयाम प्रदान किया है। इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी। कोविड-19 संकट ने भारत को वैश्विक समुदाय के मध्य स्वयं को एक जिम्मेदार और रचनात्मक सदस्य के रूप में प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किए हैं।

कोविड-19 के दौरान भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं:

➤ **स्वास्थ्य कूटनीति:** भारत ने प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदाता तथा सबसे पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में अपनी एक मजबूत पहचान स्थापित की है। भारत ने निम्नलिखित पहलों के माध्यम से इस पहचान और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अपनी विचारधारा को बनाए रखा है:

- ❑ ऑपरेशन संजीवनी;
- ❑ वैक्सीन मित्र;
- ❑ कई देशों में मेडिकल रैपिड रेस्पांस टीम की नियुक्ति;
- ❑ स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों को एकजुट करना;
- ❑ स्वास्थ्य क्षमताओं का एकीकरण;
- ❑ आवश्यक चिकित्सकीय उत्पादों की आपूर्ति इत्यादि।
- ❑ कोरोना महामारी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य उच्च आय वाले देशों की नीति "वैक्सीन राष्ट्रवाद (Vaccine Nationalism)" के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। वहीं दूसरी ओर भारत का दृष्टिकोण इस नीति से अलग रहा है।

➤ **देश की प्राथमिकताओं को तरजीह देना:** कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत में वैक्सीन की घरेलू मांग तेजी से बढ़ने लगी। साथ ही, घरेलू स्तर पर वैक्सीन उत्पादन की स्थिति भी बिगड़ रही थी। इसके मद्देनजर भारत ने वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी और 17 वर्षों के बाद विदेशी सहायता भी स्वीकार की।

➤ **बहुपक्षवाद की ओर झुकाव:** कोविड-19 के दौरान संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन संकट का प्रभावी निपटान करने में असफल रहे थे। इसके बाद भारत ने 'संशोधित बहुपक्षवाद (Reformed Multilateralism)' को अपनाने पर बल दिया।

- ❑ **संशोधित बहुपक्षवाद:** इसके तहत भारत, बहुपक्षीय निकायों (जिनका वह सदस्य है) द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में समान आधार पर भागीदारी चाहता है।

➤ **डिजिटल कूटनीति:** भारत द्वारा G20, NAM शिखर सम्मेलन, ग्लोबल वैक्सीनेशन समिट, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) तथा रूस-भारत-चीन समूह (RIC) की बैठकों में वर्चुअल भागीदारी की गई थी। इस प्रकार भारत ने वर्चुअल माध्यम से अपनी विदेश नीति संबंधी गतिविधियों को सक्रिय रूप से जारी रखा।

➡ **क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्धता:** कोविड संकट से निपटने के क्रम में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने निम्नलिखित तरीकों से नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है:

- ❑ कोविड महामारी से लड़ने के लिए एक समर्पित निधि की शुरुआत करके।
- ❑ बिस्मटेक और सार्क समिट के माध्यम से उच्च स्तरीय भागीदारी सुनिश्चित करके।
- ❑ आसियान कोविड-19 रेस्पांस फंड में आर्थिक सहायता प्रदान करके।
- ❑ रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस (Skilled Workers Arrival Database for Employment Support: SWADES) की शुरुआत करके।

वर्तमान समय में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर भारतीय विदेश नीति के तहत विशेष जोर दिया गया है?



पड़ोसी देशों से जुड़ाव को प्राथमिकता देना



➡ **नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी:** इस नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ विश्वास को बढ़ाकर, संबंधों को बेहतर बनाकर तथा आपसी सौहार्द को कायम करते हुए परस्पर लाभकारी सहयोग को सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति बिस्मटेक और सार्क जैसे मंचों के माध्यम से की जाती है। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर प्रयास किए हैं।

- ❑ बांग्लादेश और नेपाल के साथ रेलवे परियोजनाएं, ईरान में चाबहार एवं म्यांमार में सितवे बंदरगाह तथा बांग्लादेश में मल्टी-मॉडल परिवहन गलियारा इत्यादि इस दिशा में की गई प्रगति के कुछ उदाहरण हैं।

➡ **दूरस्थ पड़ोसी देशों के साथ सहयोग:** इससे भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलती है। साथ ही, इसके माध्यम से भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन को बनाए रखने वाले देश के रूप में भी अपनी छवि को स्थापित कर सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी तथा क्वाड (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया) इसी दिशा में किए गए प्रयासों के उदाहरण हैं।

भारत के घरेलू विकास को बढ़ावा देने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का लाभ उठाना



➡ **प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को रणनीतिक रूप से संतुलित बनाए रखना:** भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना, अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ व्यापक रणनीतिक संबंधों को संतुलित बनाए रखा है।

- ❑ भारत ने बार-बार इस बात को जाहिर किया है कि वह रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को एक-दूसरे से स्वतंत्र मानता है तथा दोनों में से किसी को भी अपनी विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं करने देगा।

➡ **मध्यम शक्तियों के साथ संबंध:** जर्मनी, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंध भारत में आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। इसी तरह, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब के साथ सफल साझेदारी से ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत को सहायता मिली है तथा विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, UAE और सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान को पारंपरिक रूप से दिए जाने वाले समर्थन में भी कमी आई है।

➡ **विकास केंद्रित कूटनीति:** भारत का लक्ष्य विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचारी और समावेशी समाधानों को लागू करना है। वर्ष 2022 तक एक न्यू इंडिया की संकल्पना को साकार करने हेतु स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी कई प्रमुख पहलों में विदेशी भागीदारी इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

➡ **मुक्त व्यापार समझौते करना:** भारत ने जापान, साउथ कोरिया, UAE जैसे देशों और आसियान जैसे समूहों के साथ अलग-अलग FTAs संपन्न किए हैं। इसके पीछे भारत का उद्देश्य आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाना है।



मध्य-पूर्व (मिडिल-ईस्ट) में भारतीय विदेश नीति का बढ़ता झुकाव

- इस क्षेत्र में रणनीतिक समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु USA, भारत, इजराइल और UAE ने एक नए संयुक्त कार्य-समूह को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसे प्रायः “न्यू मिडिल ईस्ट क्वाड” के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- इस क्षेत्र में USA, इजराइल और UAE के साथ भारत की भागीदारी से मध्य-पूर्व की ओर भारतीय विदेश नीति के बढ़ते झुकाव का पता चलता है। इसके पहले भारत इस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों पर USA, इजराइल और फारस की खाड़ी के देशों के पक्ष से दूरी बनाए रखता था। मध्य-पूर्व में लंबे समय तक यही रणनीति थी।
- मध्य-पूर्व के देशों के साथ बढ़ते तालमेल हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारण:
- समुद्री सुरक्षा: फारस और खाड़ी क्षेत्रों के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य भारत के आर्थिक एवं सुरक्षा हितों की रक्षा के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- ऊर्जा सुरक्षा: ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब सहित भारत के प्रमुख तेल व गैस आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
- खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए: OIC के मंच का उपयोग करके और अरब देशों के साथ बेहतर संबंध बनाकर, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है।
- इजराइल का बढ़ता महत्व: भारत के लिए तकनीकी, खुफिया और सैन्य सहयोग की दृष्टि से इजराइल काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि, भारत के मुसलमानों का रुख फिलिस्तीन के प्रति अत्यंत उदार है। इसलिए इजरायल और फिलिस्तीन के साथ भारत अपने कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए: इराक, सीरिया, जॉर्डन, यमन और अन्य देशों में अल कायदा तथा आई.एस.आई. जैसे समूहों की मौजूदगी के कारण मध्य-पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक केंद्र रहा है।

स्थिर एवं बहुध्रुवीय शक्ति संतुलन सुनिश्चित करना



- बहुपक्षीय और बहुराष्ट्रीय स्वेच्छिक समाधानों और समझ के प्रति प्रतिबद्धता: भारत UNSC, COP26, G7, BRICS और SCO जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भाग लेता है तथा समय-समय पर इनकी सोच को भी आकार देता रहा है। इसके अलावा भारत बिस्मटेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसी बहुपक्षीय पहलों का प्रमुख समर्थक भी रहा है।
- ❑ बहुलपक्षीय पहलों (Plurilateral initiatives) को मिनीलेटरल के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी पहलें समान विचारधारा वाले देशों को समान उद्देश्य के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित करती हैं। पिछले कुछ सालों में बहुपक्षवाद (Multilateralism) के विफल होने के कारण बहुलपक्षीय पहलों को बढ़ावा मिला है।
- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखना: इस संबंध में भारत निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध रहा है:
- ❑ कानून का शासन और पारदर्शिता;
- ❑ खुले सागरीय क्षेत्रों में पोत परिवहन की स्वतंत्रता;
- ❑ क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना;
- ❑ विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना।

वैश्विक शासन व्यवस्था के मामलों में भारतीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को बढ़ावा देना



- वैश्विक भलाई सुनिश्चित करने में: वसुधैव कुटुम्बकम् की विचारधारा से युक्त भारत भूकंप, चक्रवात, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारी जैसी संकटपूर्ण स्थितियों में भी मानवीय सहायता देने में सबसे आगे रहता है।
- मानवीय सुरक्षा हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने में: भारत ने अपने निकट पड़ोसी और दूर स्थित पड़ोसी देशों में सुरक्षा संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इनमें समुद्री डकैती रोकने हेतु गश्त; प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री राहत और बचाव अभियान; संयुक्त सैन्य अभ्यास आदि जैसे उपाय शामिल हैं।
- वैश्विक मंच पर जिम्मेदार और रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित करने में: भारत जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद को रोकने; कनेक्टिविटी एवं समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने संबंधी वैश्विक पहलों में सक्रिय भागीदार रहा है। एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति होने के नाते भारत कई संस्थाओं का सह संस्थापक भी रहा है। इन संस्थानों में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आपदा संबंधी तैयारी एवं बचाव में व्यापक सहयोग देने हेतु क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एवं आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition For Disaster Resilient Infrastructure) शामिल हैं।
- रक्षा क्षमताओं के विकास में: रक्षा क्षमता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि रक्षा उपकरणों के संबंध में अन्य देशों पर निर्भरता कम की जा सके। इससे भारत का वैश्विक कद भी बढ़ेगा।
- ❑ हाल ही में, INS विक्रान्त को नौसेना में शामिल किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।



➤ **गैर-निर्देशात्मक (Non-Prescriptive) विकास सहायता:** इसके तहत परियोजनाओं एवं वस्तु निर्यात हेतु एकमुश्त अनुदान और सॉफ्ट लोन के विवेकपूर्ण संयोजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अर्जित "साख" का उपयोग भारत ठोस राजनीतिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में विवेकपूर्ण तरीके से कर रहा है।

➤ **सॉफ्ट पावर संबंधी संसाधनों का उपयोग:** भारत की निम्नलिखित विशेषताओं ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया है:

- ❑ अध्यात्मवाद, योग, फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक;
- ❑ शास्त्रीय एवं लोकप्रिय नृत्य और संगीत;
- ❑ अहिंसा के सिद्धांत, लोकतांत्रिक संस्थान, बहुलवादी समाज;
- ❑ लजीज और पारंपरिक व्यंजन इत्यादि।

अपने व्यापक विदेश नीति एजेंडे में भारतीय जलवायु नीति की बढ़ती भागीदारी



वैश्विक जलवायु नीति के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण में आमूलचूल बदलाव आया है। भारत वैश्विक जलवायु नीति में पक्षपात का आरोप लगाने वाले देश से जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सक्रिय रूप से आकार देने वाला देश बन गया है। भारत के रुख में यह बदलाव घरेलू प्राथमिकताओं और विश्व में उसकी बढ़ती विकासात्मक भूमिका के अनुरूप है।



आरंभिक चरण
(1972 से 1990 के दशक तक)

विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर आरोप का दौर

➤ **स्टॉकहोम (1972)** में पर्यावरण पर आयोजित पहले वैश्विक सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री के भाषण ने भारतीय जलवायु नीति में एक बौद्धिक परंपरा की शुरुआत की। इसमें पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा करके किए गए सामाजिक-आर्थिक विकास की आलोचना की गई थी। साथ ही, उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों को वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करने के लिए उत्तरदायी भी ठहराया गया था।

- ❑ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में विकसित देशों पर "कार्बन उपनिवेशवाद (Carbon Colonialism)" का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट का शीर्षक "ग्लोबल वार्मिंग इन एन अनईक्वल वर्ल्ड" था।



1990 के दशक की शुरुआत से लेकर 2000 के दशक तक वैश्विक जलवायु समझौतों में सक्रिय भूमिका

➤ **1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** अस्तित्व में आया। इसके बाद जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों और बहसों को लेकर भारत 77 देशों के समूह (G-77) में शामिल हो गया। G77 विकासशील देशों का एक समूह है, जो विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने की मांग करता है। G77 का तर्क यह है कि यदि विकासशील देश स्वैच्छिक रूप से प्रतिबद्धताओं को अपनाते हैं तो उसकी शर्त यह होगी कि औद्योगिक देशों से वित्त और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हो।

- ❑ इसके बाद, भारत द्वारा समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों (Common But Differentiated Responsibilities: CBDR) और संबंधित क्षमताओं (Respective Capabilities: RC) के सिद्धांतों का समर्थन किया गया।
- ❑ अंततः 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में समझौता वार्ता को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। इस समझौते में जलवायु कार्रवाई हेतु उत्तरदायित्व के संबंध में राष्ट्रों के बीच विभेदित उत्तरदायित्वों को बनाए रखने पर जोर दिया गया है।



2000 से 2011 तक अधिक वास्तविक आकलन की ओर झुकाव

➤ **सह-लाभ आधारित दृष्टिकोण (Co-Benefits Approach)** की बढ़ती मान्यता के मद्देनजर भारत में जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों में भी बदलाव आया। इसके तहत निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक संवृद्धि जैसी घरेलू प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन का समाधान करने से संबंधित नीतियों का विकास किया गया।

- ❑ 2002 में, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism: CDM) पर अपने संदेह का त्याग करते हुए CDM के माध्यम से भारत में परियोजनाओं के लिए धन जुटाना आरंभ कर दिया।
- ❑ 2007 में बाली में आयोजित COP-13 में भारत ने स्वीकार किया कि विकासशील देशों को अपनी क्षमताओं के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर शमन संबंधी वैश्विक प्रयासों में भाग लेना चाहिए।
- ❑ घरेलू स्तर पर, भारत ने 2008 में अपनी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change: NAPCC) जारी की। बेसिक देशों (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के साथ-साथ भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्यों की घोषणा की।



2011 के बाद मजबूत भारतीय भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को आकार देना

➤ 2011 में डरबन में COP-17 का आयोजन हुआ था। इसमें जलवायु गवर्नेंस के लिए एक **बॉटम-अप व्यवस्था को अपनाया** गया। इस व्यवस्था में सभी देशों द्वारा एक सहभागी समीक्षा (Peer Review) प्रणाली के तहत जलवायु कार्रवाई संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

- ❑ 2013 में वारसों में COP-19 आयोजित किया गया। इसके तहत पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं के विचार को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अंतिम रूप में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Intended Nationally Determined Contributions: INDC) को अपनाया गया।
- ❑ भारत ने भी अपने INDCs को प्रस्तुत किया और COP-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आरंभ किया। साथ ही, भारत अपने अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में भी प्रयासरत है।



क्षेत्रीय अस्थिरता और गैर-अनुकूल बाहरी परिवेश



- **भारत और इसके निकटवर्ती क्षेत्र:** भारत के पास अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आर्थिक साधनों अर्थात् घनिष्ठ व्यापार संबंध, पर्याप्त वित्तीय निवेश या व्यापक भौगोलिक कनेक्टिविटी का अभाव है। साथ ही, भारत अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को जोखिम में डाले बिना अपने सैन्य बलों का आसानी से उपयोग भी नहीं कर सकता है।
 - ❑ ऐसी स्थिति में अक्सर भारत के निकट पड़ोसियों को सहायता और समर्थन प्राप्त करने हेतु उपमहाद्वीप के बाहर अन्य देशों का सहारा लेना पड़ता है।
- **एक प्रमुख शक्ति के रूप में चीन का उदय:** अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत को व्यापक परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अग्रलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं: अनसुलझे सीमा विवाद, चीन की सेना का आधुनिकीकरण, चीन के इरादों के बारे में अनिश्चितता, भारत के पड़ोसियों के साथ चीन के संबंध, हिंद महासागर में चीन द्वारा अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार करना, नदी जल का बंटवारा तथा पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप और कई अन्य देशों में संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा की संभावना।
- **पाकिस्तान के साथ भागीदारी:** पाकिस्तान द्वारा LoC पर बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जाता है और भड़काऊ बयानबाजी भी की जाती है। यह स्थिति इस क्षेत्र में तनाव, अस्थिरता, आतंकवाद और आतंकी हमलों में वृद्धि की संभावना को बढ़ाती है।
- **यूरोपीय हलचल:** यूक्रेन संघर्ष का हिंद-प्रशांत और अमेरिका-भारत सहयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। एक ओर रूस की सफलता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के क्षेत्रीय दावों को मजबूत बनाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में अमेरिका-भारत के रणनीतिक सहयोग को प्रभावित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन संघर्ष के प्रति भारत के दृष्टिकोण को लेकर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद तथा संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।
- **एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत द्वारा संतुलन बनाए रखना:** भारत अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व और पश्चिम के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके तहत भारत को प्रायः अग्रलिखित के मध्य संतुलन बनाए रखना पड़ता है: मॉस्को के साथ अपने सैन्य संबंध, चीन के साथ अपने आर्थिक संबंध और चीन को रणनीतिक रूप से संतुलित करने हेतु अमेरिका के साथ संबंध।
- **मध्य-पूर्व में व्यवस्था को बेहतर करना:** भारत अपने महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में स्थिरता और लोकतंत्र को बनाए रखना चाहता है। इस क्षेत्र से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण हितों में अग्रलिखित शामिल हैं: भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, इस क्षेत्र में संबंधित निवेश और परियोजनाओं की सुरक्षा, पायरेसी का मुकाबला करना और इस क्षेत्र को लेकर भारत के विशाल मुस्लिम समुदाय की भावनाएं।

भारत के हितों को प्रभावित करने वाले बाह्य आर्थिक कारक



- **तनावग्रस्त आर्थिक स्थिति:** इसमें वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद धीमी रिकवरी और वैश्विक व्यापार में गिरावट, महामारी जनित आर्थिक गिरावट इत्यादि के रूप में अनेक चुनौतियां शामिल हैं। महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कमजोरियों को उजागर किया है।
- **ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की निर्भरता:** आज ऊर्जा के अन्य उपलब्ध वैकल्पिक स्रोतों के बावजूद भारत कोयला और कच्चे तेल जैसे हाइड्रोकार्बन स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर है। आयात पर इस तरह की निर्भरता के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को समय-समय पर तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और इनकी उपलब्धता से जुड़े संकटों का सामना करना पड़ता है।
- **सहयोग के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क की विफलता:** कोविड-19 महामारी ने वैश्विक संगठनों की आम सहमति से किसी निर्णय पर पहुंचने में अक्षमता को और बढ़ाया है। साथ ही महामारी ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में इन संगठनों की उपयोगिता पर भी सवाल उठाया है। इस स्थिति को देखते हुए निहित स्वार्थों और संस्थागत जड़ता के कारण आम सहमति व सुधार को सुनिश्चित कर पाना कठिन हो जाता है।
 - ❑ उदाहरण के लिए— व्यापार वार्ता संबंधी दोहा दौर पर सहमति नहीं बन पाना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों का विस्तार भी असंभव सा लग रहा है।

घरेलू कमजोरियां



- **प्रणालीगत बाधाएं:** विदेश नीति से संबंधित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से साकार करने में अग्रलिखित कारक बाधा उत्पन्न करते हैं: विदेश नीति के मामलों में राज्यों द्वारा हस्तक्षेप करना, जैसे तीस्ता जल समझौते के मामले में; महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद बाधाएं; भारतीय उत्पादों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की कम क्षमता; और मानव पूंजी में घरेलू स्तर पर कम निवेश करना।
- **प्रवासियों के साथ प्रभावी जुड़ाव को बनाए रखने हेतु आवश्यक संसाधनों का अभाव:** प्रवासी भारतीयों के साथ प्रभावी जुड़ाव को बनाए रखने में निम्नलिखित कारक बाधक रहे हैं। इसमें प्रवासियों से संबंधित प्रामाणिक डेटाबेस की कमी; कम कुशलता के कार्यों में लगे प्रवासियों से जुड़ाव न होना या डेटाबेस में उनसे संबंधित आंकड़ों का अभाव; अनसुलझी शिकायतों की अधिक संख्या; और स्पष्ट प्रवासी नीति का अभाव शामिल है।





- ❖ **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री भू-राजनीति का विकास:** मौजूदा परिस्थितियों में खतरों की प्रकृति का विस्तार पारंपरिक से लेकर गैर-पारंपरिक तक हो गया है। जहां पारंपरिक खतरों में शक्ति असंतुलन से संबंधित खतरे शामिल हैं वहीं गैर-पारंपरिक खतरों में जलवायु परिवर्तन; पायरेसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध; अवैध रूप से मछली पकड़ना आदि शामिल हैं। इनके कारण अवसरों के दोहन में बाधा उत्पन्न होती है।
- ❖ **जल और खाद्य सुरक्षा:** वैश्विक जनसंख्या में लगातार वृद्धि; भूमि और जल जैसे सीमित संसाधन; भविष्य में खाद्य उत्पादकता में संभावित गिरावट की स्थिति को देखते हुए इस समस्या के प्रति सतर्क बने रहना आवश्यक है।
- ❖ **परमाणु हथियार:** परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार सहित हथियार संपन्न देशों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार में कटौती करने संबंधी कार्यक्रम की स्थिति और ईरानी परमाणु समझौता पर उहापोह एक अनिश्चित सुरक्षा माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं।
- ❖ **महामारी, नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी:** ये अन्य प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि इन समस्याओं के बुरे प्रभावों को रोका जा सके।
- ❖ **नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां:** प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने भारत जैसे लोकतांत्रिक और खुले समाजों के लिए सुरक्षा संबंधी नई उप-पारंपरिक चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। **इन्फोडेमिक्स** को 'महामारी जितना बड़ा खतरा' माना जा रहा है।

टेक्नोलॉजी: भारतीय विदेश नीति के स्तंभ के रूप में उभरती प्रौद्योगिकियां



- ❖ हाल ही में विदेश मंत्रालय ने न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ (NEST) विभाग के गठन की घोषणा की है। यह तकनीक संचालित कूटनीति (Tech Diplomacy) के लिए कार्य करेगा। NEST के निम्नलिखित कार्य हैं:
 - ❑ इस पर नीतिगत सलाह प्रदान करना कि भारत उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कैसे आकार दे सकता है।
 - ❑ वैश्विक तकनीकी प्रवाह में पर्याप्त हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला को प्रतिस्पर्धी बनाना।
 - ❑ भारत की घरेलू प्रौद्योगिकी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अनुरूप करना।
- ❖ **भारत की तकनीक संचालित कूटनीति के समक्ष आने वाली चुनौतियां**
 - ❖ **चीन के साथ प्रौद्योगिकी संबंधी बढ़ती परस्पर निर्भरता का प्रबंधन करना:** भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़े भागीदार चीन के निवेशक हैं। भारत को चीन से निवेश आकर्षित करने; राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में चीन के प्रवेश को प्रतिबंधित करने; प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान अर्जित करने के लिए कानूनी एवं विनियामक साधनों का उपयोग करने; और एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक प्रयास करना चाहिए।
 - ❖ **वैश्विक तकनीकी संरक्षणवाद का सामना करना:** इनमें निर्यात पर नियंत्रण लगाने वाली प्रणालियां, प्रतिबंध लगाने वाली व्यवस्थाएं और तेजी से उभरती नई प्रौद्योगिकियों के पारितंत्र की रक्षा हेतु किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। इनका भारतीय हितों पर अनिश्चित प्रभाव पड़ सकता है।
 - ❑ उदाहरण के लिए— अमेरिका ने भू-स्थानिक इमेजरी सॉफ्टवेयर के लिए एक नई निर्यात नियंत्रण व्यवस्था की घोषणा की है।
 - ❖ **ग्लोबल डेटा गवर्नेंस:** डेटा प्रसार से संबंधित मामला तेजी से ग्लोबल गवर्नेंस का एक विवादित मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में भारत को डेटा गवर्नेंस पर अपनी घरेलू नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के साथ एकीकृत करना होगा।
 - ❖ **मापदंड, मानक और नियम-निर्माण:** भारत में एकीकृत दृष्टिकोण के अभाव के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मानक-निर्धारण प्रक्रियाओं में भाग लेने की भारत की क्षमता प्रभावित होती है।
- ❖ **भारत के लिए आगे की राह**
 - ❖ **NEST के लिए उत्तरदायित्व:** NEST को इसके द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यों के साथ-साथ घरेलू नीति निर्माण को डेटा गवर्नेंस, फैंब्रिकेशन फैसिलिटी, AI अनुसंधान के साथ जोड़ने हेतु अधिकृत किया जाना चाहिए।
 - ❖ **भारत की तकनीकी निर्भरता का मूल्यांकन करना:** भारत को प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति; महत्वपूर्ण आयातों पर निर्भरता; और विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय नियमों से होने वाले जोखिम की पहचान करने के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रयास करना चाहिए।
 - ❖ **वैश्विक तकनीकी साझेदारी का लाभ उठाना:** भारत ने वैश्विक तकनीकी साझेदारी का लाभ उठाने हेतु अनेक देशों के साथ साझेदारी की है, उदाहरण के लिए— AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में जापान और फिनलैंड के साथ; मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) के क्षेत्र में इजराइल के साथ तथा साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ। इन साझेदारियों को घरेलू नौकरशाही संबंधी बाधाओं को दूर करके; उद्यमों को स्थापित करने की प्रक्रिया को सुगम करके और कर व्यवस्था को आसान बना कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
 - ❖ **भारत की तकनीकी क्षमता का दोहन करना:** भारत फिनटेक और बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी क्षमता का दोहन करके वैश्विक स्तर पर अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने में मदद मिलेगी।
 - ❖ **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी मानकों का विकास करना:** भारत द्वारा अन्य टेक्नो-डेमोक्रेसीज़ के साथ मिलकर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वसनीय मानकों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, इन विश्वसनीय मानकों को संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों के पास भी भेजा जाना चाहिए।
 - ❑ हाल ही में प्रस्तावित T-12 (या प्रौद्योगिकी 12) गठबंधन इस उद्देश्य में एक आदर्श मंच हो सकता है।

अशांत अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के मद्देनजर भारतीय विदेश नीति के तहत किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए?



- ❖ **चीन के साथ चतुराई से निपटना:** भारत, चीन के साथ सीमा प्रबंधन, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन व्यवस्था और आपसी हित से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी कर रहा है। इन सबके बावजूद भी भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता एवं इस क्षेत्र तथा शेष विश्व में अपने हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- ❖ **पाकिस्तान के साथ सावधानीपूर्वक संबंध बनाना:** किसी भी प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के क्रम में भारत द्वारा पाकिस्तान में एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध लोकतंत्र को बरकरार रखने में मदद की जानी चाहिए।
- ❖ **रणनीतिक स्वायत्तता के क्षेत्र का विस्तार करना:** भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के विस्तार के लिए विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को संगठित करते हुए अपनी विदेश नीति को एक नया स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इससे साझा हितों को आगे बढ़ाने के अलावा बहुपक्षीय संस्थानों तथा प्रक्रियाओं को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
- ❖ **बहुपक्षीय गठबंधन हेतु प्रयास करना:** यह भारत को अपनी क्षमताओं और बाहरी संबंधों के बीच सकारात्मक गठजोड़ के माध्यम से ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकता है। ऐसे गठबंधनों के तहत सभी देशों को रणनीतिक मुद्दों पर एक साथ मिलकर तथा सकारात्मक सहभागिता के साथ काम करना चाहिए, ताकि सभी पक्ष लाभान्वित हो सकें।
- ❖ **जोखिम से बचने की रणनीति का त्याग करना और अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना:** देश की भौतिक कमजोरियों के मद्देनजर पारंपरिक और कम जोखिम वाली विदेश नीति को अपनाने से केवल सीमित परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत, जब से भारत द्वारा विगत कुछ वर्षों से अधिक स्पष्ट एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाने लगा है, तब से इसके परिणाम भी काफी प्रभावशाली रहे हैं।
 - ❑ उदाहरण के लिए— 1998 के परमाणु परीक्षणों के कारण विश्व को भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। इसने भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में शामिल होने का अवसर भी प्रदान किया।
- ❖ **अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना:** इसमें क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और सीमा-पार से होने वाले आतंकवाद को रोकना; ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना; साइबर सुरक्षा शामिल हैं। साथ ही, गैर-भेदभावपूर्ण वैश्विक व्यापार प्रणालियों को सुनिश्चित करना; पर्यावरण के संरक्षण के लिए समान वैश्विक जिम्मेदारी पर बल देना; समकालीन वास्तविकताओं को देखते हुए वैश्विक शासन व्यवस्था संबंधी संस्थानों में सुधार हेतु प्रयास करना; निरस्त्रीकरण, क्षेत्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में काम करना आदि इसके तहत आते हैं।
 - ❑ इसके लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ मिलकर साझा हितों पर आधारित गठबंधन बनाने की आवश्यकता होगी।
- ❖ **आत्म-निर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित करना:** इसके तहत घरेलू स्तर पर भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें आर्थिक सुधारों में तेजी लाना; अपने संस्थानों को मजबूत बनाना; अपने सैवधानिक मूल्यों को बरकरार रखना; देश के आंतरिक सद्भाव को बनाए रखना; कुपोषण, अशिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे सामाजिक विकास के संकेतकों में सुधार करना शामिल है।
- ❖ **प्रवासी आबादी के साथ भागीदारी बढ़ाना:** इसके तहत प्रवासी आबादी के साथ भागीदारी को बढ़ाते हुए विदेशों में उनकी उपस्थिति से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनके हितों की यथासंभव रक्षा भी की जानी चाहिए।
- ❖ **अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में नारीवादी आयाम को विकसित करना:** भारत की क्षेत्रीय नीतियां मुख्य रूप से एक पुरुषवादी (Masculine) दृष्टिकोण पर आधारित रही हैं। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) शरणार्थी नीतियों, स्वास्थ्य नीतियों, आर्थिक सहयोग आदि क्षेत्रों में नारीवादी दृष्टिकोण अपनाकर अपने क्षेत्रीय हितों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है।
 - ❑ नारीवादी विदेश नीति (Feminist Foreign Policy), वह अवधारणा है जिससे प्रेरित देश राजनयिक संबंधों के माध्यम से मूल्यों और अच्छी प्रथाओं को बढ़ावा देता है ताकि लैंगिक समानता प्राप्त की जा सके और सभी महिलाओं को अपने मानवाधिकारों का आनंद लेने की गारंटी प्राप्त हो। नारीवादी विदेश नीति किसी देश को उसके विकास के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता में देखी जाती है। यह वित्त-पोषण सामान्यतः ऐसे कार्यक्रमों को लक्षित और प्रोत्साहित करता है जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हैं।
- ❖ **एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना:** विश्व में विकसित और विकासशील देशों के मध्य भारत एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को बढ़ावा देते हुए बहुपक्षवाद को मजबूत और वैश्विक शासन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में भी एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष



भारत की विदेश नीति पिछले सत्तर वर्षों में विकसित हुई है और वैश्विक या क्षेत्रीय परिदृश्य को देखते हुए समय के साथ इसमें काफी बदलाव भी आया है। हालांकि, ये बदलाव कभी-कभी मंद तो कभी-कभी काफी तेजी से सामने आए हैं। भारत पिछले तीन दशकों से बेहतर विकास और समृद्धि का लाभ उठाने में सफल रहा है। इसने भारत की विदेश नीति को अधिक सहयोग प्रदान किया है और कूटनीतिक संचालन के लिए कहीं अधिक संसाधनों को उपलब्ध कराया है। इसने पूरी दुनिया में हमारी राजनयिक उपस्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाया है। भारत ने स्पष्ट रूप से वैश्विक परिदृश्य में अग्रणी भूमिका निभाने और अपने आप को एक 'मजबूत स्तंभ' के रूप में स्थापित करने की मंशा को प्रदर्शित किया है। भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में देश में निरंतर स्थिरता और समृद्धि तथा विदेश नीति संबंधी व्यापक मापदंडों पर राजनीतिक सर्वसम्मति से सहायता मिलेगी।

टॉपिक – एक नज़र में

विदेश नीति सिद्धांतों और निर्णयों का एक समुच्चय है। इसे राष्ट्रीय हित के अनुसार तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अन्य राष्ट्रों और सभी अंतर्राष्ट्रीय पक्षकारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किसी राष्ट्र द्वारा अपनाया व उपयोग किया जाता है।

भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य



पारंपरिक और गैर-पारंपरिक खतरों से भारत की रक्षा करना।



एक ऐसा बाहरी परिवेश तैयार करना जो भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो।



यह सुनिश्चित करना कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को सुना जाए तथा वैश्विक मुद्दों पर देशों के मत को रखने में भारत को सक्षम बनाया जाए।



प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना और उनकी रक्षा करना।

भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत और विशेषताएं



पंचशील के पांच सिद्धांत निम्नलिखित विशेषताओं का आधार रहे हैं:

- भारत विचारधाराओं को अन्य पर थोपने, व्यवस्थाओं में जबरन परिवर्तन या क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन का विरोध करता है।
- भारत, एकतरफा प्रतिबंधों/सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करता है।
- अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की जगह मध्यस्थता।
- आक्रामकता की जगह रचनात्मक सहभागिता।
- सामरिक स्वायत्तता।
- वैश्विक आयाम के मुद्दों पर वैश्विक आम सहमति।
- डिप्लोमैटिक आउटरीच के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों और साझेदारी को आगे बढ़ाना।



वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति के विशेष महत्व वाले क्षेत्र

- नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विस्तारित पड़ोस तक पहुंच के माध्यम से एक एकीकृत पड़ोस को प्राथमिकता देना।
- भारत के घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का लाभ उठाना, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच संबंधों का रणनीतिक संतुलन, मध्यवर्ती शक्तियों तक पहुंच आदि शामिल हैं।
- बहुपक्षीय और बहुलतावादी समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से शक्ति का एक स्थिर और बहुध्रुवीय संतुलन सुनिश्चित करना तथा नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था पर बल देना।
- वसुधैव कुटुम्बकम् की लोकनीति के माध्यम से वैश्विक शासन के मामलों में भारतीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को आगे बढ़ाना।
- अध्यात्म, योग जैसे सॉफ्ट पावर की क्षमता का उपयोग कर भारत के वैश्विक प्रभाव में वृद्धि करना।

भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों के सामने उभरती चुनौतियां



- सीमा विवाद, आतंकवाद जैसे कारकों के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय अस्थिरता।
- कई कारणों से प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप गैर-अनुकूल बाहरी वातावरण।
- कोविड-19 के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दबाव।
- भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेशों पर अत्यधिक निर्भरता।
- सहयोग के लिए वैश्विक ढांचे का विघटन।
- प्रवासी आबादी के साथ प्रभावी जुड़ाव के लिए घरेलू प्रणालीगत बाधाएं और संसाधनों की कमी।
- गैर-पारंपरिक चुनौतियों और खतरों का उदय, जैसे- हिंद-प्रशांत की समुद्री भू-राजनीति, परमाणु हथियार, महामारी और उभरती हुई तकनीकें।



अशांत अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की दिशा तय करने के लिए भारत की विदेश नीति के लिए आवश्यक फोकस क्षेत्र

- चीन के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार, जिसमें रचनात्मक जुड़ाव और भारत की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा शामिल है।
- पाकिस्तान को स्थिर करने के लिए सचेत रूप से प्रयास करना एवं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना।
- विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर रणनीतिक स्वायत्तता के क्षेत्र का विस्तार करना।
- अलग-अलग गठबंधनों में शामिल होना, ताकि सभी प्रमुख देशों से सकारात्मक संबंध बने रहें।
- जोखिम से बचने की रणनीति का त्याग करना और अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना।
- सीमा सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, गैर-भेदभावपूर्ण वैश्विक व्यापार प्रणालियों का होना जैसे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना।
- घरेलू आर्थिक सुधारों में तेजी लाकर, संस्थाओं को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना।
- क्षेत्रीय हितों को बेहतर ढंग से हासिल करने के लिए अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति में नारीवादी आयाम को विकसित करना।
- कानून पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्वकारी भूमिका निभाना।

FOR DETAILED ENQUIRY, PLEASE CALL:
+91 8468022022, +91 9019066066
ENQUIRY@VISIONIAS.IN © Vision IAS
www.visionias.in



DELHI



JAIPUR



HYDERABAD



PUNE



AHMEDABAD



LUCKNOW



CHANDIGARH



GUWAHATI



ENQUIRY@VISIONIAS.IN



/C/VISIONIASDELHI



/VISION_IAS



VISION_IAS



WWW.VISIONIAS.IN



/VISIONIAS_UPSC